न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
7/24	212 RTA	छबडा	छबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कन्हैयालाल	बनाम	छीतरलाल

वकील :–	श्री भगवान बलरिया	आदेश पत्रक	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
29.01.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्व अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया की वाके माल छबडा के खसरा नम्बर ,खसरा नम्बर 971 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 972 रकबा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 1364 रकबा 10.01 बीघा (वर्तमान में खसरा नम्बर 1364 रकबा 1.4796 है0 खसरा नम्बर 1364/3 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 1364/2 रकबा 0.3035 है0) कुल किता 3 रकबा 11.06 बीघा जो सेटलमेन्ट के बाद सम्वत 2021–2031 में प्रार्थीगण के पिता मूल्या पुत्र रघुनाथ एवं अप्रार्थीगण के पिता धुल्या वल्द ईसरिया, लक्ष्मीचन्द पुत्र जानकीया माली निवासी छबडा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट के बाद से ही प्रार्थीगण व उनका पिता स्वर्गीय मूल्या उर्फ मुलचन्द का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण व अन्य किसी का क्षणभर के लिए भी कब्जा काश्त नही रहा दौराने बाद दिनांक 02.01.2024 को अप्रार्थीगण 2 क्रम 2 लटुर द्वारा उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1364 व 1364/2 कुल किता 2 रकबा 1.5428 है0 का हिस्सा 1/8 बेचान जरिये रजिस्टर विक्रय पत्र अप्रार्थी क्रम 3 राजेन्द्र कुमार को कपअ पूर्वक विधिविरूद्व बिना कब्जा हस्तान्तरण कर दिया जो प्रारम्भ से ही अमान्य व प्रभाव शून्य है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के हिस्सा 1/8– 1/8 पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके माल छबडा के खसरा नम्बर 1364 रकबा 1.4796 है0 खसरा नम्बर 1364/3 रकबा 0.0632 है0 भूमि के हिस्सा 1/8–1/8 पर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति दिनांक 13.02.2024 .तक बनाये रखे प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.02.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
13.2.24	अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 27.2.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
27.2.24	अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 3.4.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाल शरीकेन 350/ अप्रार्थी क्रम 3 की ओर से स्थगन आदेश खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र का जवाब हेतु समय चाहा है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की तलबी हेतु तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी जवाब प्रा.पत्र (स्थगन खारिज) दिनांक 18.9.24 को पेश हो।	
18.9.24	आज पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य कार्य~~ [illegible] मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 4.11.24 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
4.11.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 5.11.24 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	आदेश [illegible] [illegible] तहसीलदार(?)
5.11.24	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रॉल कर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी वादी छीतर, लेहर(?), कजोड़ी, कस्तूरी द्वारा विवादित आराजी का बेनाम दौरान वाद अन्य को कर दिया है जिसका इस वाद मे संशोधन किया जाना एवं उसके पश्चात पुनः इसी आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है प्रार्थना पत्र मे कानूनी त्रुटि के कारण प्रार्थना पत्र की त्रुटि दुरुस्त करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA का [illegible] वापस लेना चाहते है प्रार्थना पत्र 212 RTA को विड्रॉल करने (वापस) लेने एवं अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए दुबारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निवेदन किया है वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रॉल बाबत स्वीकार किया जाता है पत्रावली [illegible] बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	